

समाचार-प्रकाशनार्थ:-

शहर के वार्डों को जीरो वेस्ट बनाने की तैयारियां शुरू
वार्ड 7 और 17 को जीरो वेस्ट बनाने से होगी शुरूआत
स्वच्छता दीदी जाकर करेंगी गीले-सूखे कचरे का पृथक्कीकरण
रतलाम 03 मार्च । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के तहत रतलाम शहर को
स्वच्छता की दौड़ में अक्वल बनाने के प्रयासों के चलते नगर निगम शहर
के वार्डों को जीरो वेस्ट बनाने की तैयारियों को अंजाम देने जा रहा है।
इसी के तहत पहले चरण में शहर के दो वार्डों को जीरो वेस्ट बनाने की
तैयारी 04 मार्च गुरुवार से की जाएगी। इस संबध में बुधवार को आयोजित
बैठक के दौरान निगम आयुक्त श्रीसोमनाथ झारिया ने संबधत शाखा
प्रमुखों को दिशा निर्देश दिए हैं।

स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम को स्वच्छता की दौड़ में नम्बर-1 बनाने
के लए पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रथम चरण में शहर के वार्ड 7
(अलकापुरी) और वार्ड 17(ईश्वरनगर)को जीरो वेस्ट वार्ड बनाए जाने की
तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। जीरो वेस्ट वार्ड बनाए जाने में
नागरिकों को अब इतना करना है क वे अपने घरए दुकान आदि के सामने
हर दिन सुबह गीले व सूखे कचरे का पृथक्कीकरण कर रखे। यहां कचरा
वाहन के साथ आने वाली स्वच्छता दीदी इन कचरा पात्रों की जांच करेगी।
अगर गीला और सूखा कचरा अलग-अलग नहीं कया गया होगा तो ये इस
कार्रवाई को पूरा करेगी और इन दोनो तरह के कचरों को अलग-अलग
डाला जाएगा।

इस दौरान रेग पकर्स नागरिकों को गीला और सूखा कचरा अलग-अलग
रखने की समझाईश भी देगी। इन्हे सुरक्षा कट सहित अन्य साधन में भी
मुहैया कराए जाएंगे। इनके साथ आईईसी की टीम के सदस्य भी शा मल
होगे।

बैठक के दौरान निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कहां क हमारा
मुख्य प्रयास ये ही है क शहर के कसी भी कोने में खुले में कचरा नहीं
होना चाहिए। जो कचरा फेकते हैं उनके खलाफ स्पाट फाईन की कार्रवाई

की जा रही है। इसके साथ ही समाप्त कर गए कचरा स्थलों पर रांगोली निर्माण और जागरूकता कार्यक्रमों का दौर भी जारी है। नष्ट कर गए कचरा स्थलों पर दोबारा कोई कचरा ना डाले इसके लिए लठैत भी तैनात कर गए हैं।

उन्होंने कहा कि सफाई और पानी का इंतजाम हम सबकी प्राथमिकताओं में शामिल होना चाहिए ऐसे में सभी इन महत्वपूर्ण जरूरतों के लिए अपनी पूर्ण भागीदारी ईमानदारी से निभाए।

आयोजित बैठक में उपायुक्त श्री विकास सोलंकीए सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारियाए कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यासए श्री जी.के. जायसवालए स्वच्छता कनसलटेंट श्री प्रतीक मश्राए सहायक यंत्री श्री श्याम सोनीए श्री एम.के. जैनए निगम सचिव श्री जसवन्त जोशीए जलप्रदाय विभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्यए स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंहए उद्यान प्रभारी श्री अरवन्द दशोत्तर उपयंत्री सर्वश्री अनवर कुरेशीए राजेश पाटीदारए विकास मरकामए मनीष तिवारीए दीक्षा निजामपुरकरए मनीष तिवारीए सद्धार्थ सोनीए सुश्री दीक्षा निजामपुरकरए श्रीमती अनिता ठाकुरए स्टेनोग्राफर श्री प्रमोद तिवारीए सटी मैनेजर श्री कपील मारोठियाए श्री नितिन तिवारीए कार्यालय अधीक्षक श्री रामचन्द्र शर्माए श्री बी.एल. चावरेए सहायक राजस्व निरीक्षक श्री बलवन्त राठौरए झोन प्रभारी श्री करण चौहानए श्री पर्वत हाड़ेए उप स्वच्छता पर्यवेक्षक आदि उपस्थित रहे।

वृदांवन बैकरी से 40 किलो पॉलीथीन जब्त कर 5000 का जुर्माना किया 14 व्यक्तियों पर स्पॉट फाईन कर 13 किलो पॉलीथीन जब्त 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग प्रतिबंधित उपयोग व भण्डारण पर होगी जब्ती व लगेगा दण्ड

रतलाम 03 मार्च । षासन निर्देशानुसार नगरीय क्षेत्र रतलाम में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबंधित किये जाने के तहत कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

निर्देशानुसार निगम का स्पॉट फाईन दल द्वारा सज्जन मल रोड स्थित वृंदावन बैकरी पहुंचने पर संचालक द्वारा पॉलीथीन जब्त करने में असहयोग करने पर कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में स्वास्थ्य अधिकारी ए.पी. सिंह व स्पॉट फाईन दल द्वारा संबंधित से 40 किलो पॉलीथीन जब्त कर 5000₹ का जुर्माना किया।

इसके अलावा तेजराम स्टेशन रोड पर 1500₹ लक्की जवाहर नगर पर 500₹ मन्नालाल गांधी नगर पर 300₹ अजय सिंह सुनील रितेश दीनदयाल नगर गोपाल स्टेशन रोड गौरव पुशपेन्द्र डाट की पुलिस व 4 अन्य पर 250.250 रुपये का जुर्माना कर भवश्यक में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग न करने की समझौटा दी गई व लगभग 13 किलो पॉलीथीन जब्त की गई।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क नगरीय क्षेत्र रतलाम में सब्जी फल-फुट व अन्य सामग्री के फुटकर व्यवसायी अगर 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग करते हैं तो उन पर 50 रुपये का अर्थदण्ड किया जाकर पॉलीथीन जब्त की कार्यवाही की जायेगी। इसी तरह दुकानदारों द्वारा 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग व भण्डारण करता है तो उस पर 5000₹ रुपये का अर्थदण्ड किया जाकर पॉलीथीन जब्त की कार्यवाही की जायेगी।

नगर के नागरिक दुकानदार व फुटकर व्यापारियों से अपील की जाती है क वे 50 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व प्लास्टिक का उपयोग व भण्डारण न करें।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह झोन प्रभारी श्री करण चौहान व श्री पर्वत हाड़े उप स्वच्छता निरीक्षक श्री जय उपाध्याय आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलाने अतिक्रमण करने पर संबंधितों के वरुद्ध जुर्माना किये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

अनुपस्थित 42 सफाई संरक्षकों का वेतन काटा

कारण बताओ सूचना-पत्र जारी

रतलाम 03 मार्च। निगम के चारो झोन के वार्डों की सफाई कार्य के निरीक्षण के दौरान नगर के व भन्न वार्डों में 03 मार्च बुधवार को बिना सूचना के 42 सफाई संरक्षकों द्वारा अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक दिवस का वेतन काटा जाकर अस्थाई कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने व स्थाई कर्मचारियों को निलंबित कये जाने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी कया गया।

वार्डवार पर्यवेक्षकों ने नगर के व भन्न क्षेत्रों में करवाया सफाई का कार्य स्वच्छता कार्य में नियुक्त वार्डवार पर्यवेक्षक अपने-अपने वार्डों में प्रतिदिन भ्रमण करें

प्रतिदिन की रिपोर्ट व्हाट्स एप ग्रुप में अपलोड करें

रतलाम 03 मार्च । स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता में नम्बर 1 बनाने हेतु युद्ध स्तर पर की जाने वाली तैयारियों के संबंध में वार्ड वार नियुक्त पर्यवेक्षकों अपने-अपने वार्डों में सफाई कार्य हेतु पर्यवेक्षण निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार कया जाकर प्रतिदिन के पर्यक्षण कार्य की रिपोर्ट व्हाट्स एप ग्रुप मंे दी जाकर स्वच्छता संबंधी कार्य करवाया जा रहा है।

निगम आयुक्त श्री झारिया के निर्देशानुसार वार्डवार नियुक्त पर्यवेक्षकों ने अपने-अपने वार्ड में भ्रमण कर जानकारी प्रस्तुत की जिसके तहत वेनोबा नगर सरस्वती माता मंदिर उद्यानए ईष्वर नगरए इंदिरा नगरए वनोबा नगर मुक्तिधाम के पीछेए वार्ड क्रमांक 4 की ना लयांए वार्ड क्रमांक 33 कार गल उद्यानए वार्ड 47 सुलभ काम्पलेक्स के सामनेए ग्लोबस टाउन षपए दीनदयाल नगरए आईटीआई के आसपासए इन्द्रलोक नगरए गोकुलधाम कालोनीए बाजना बस स्टैण्ड व काषीनाथ के नोहरे में सफाई का कार्य

करवाया गया। इसके अलावा इंदिरा नगर साईं मंदिर उद्यान व इन्द्रलोक नगर उद्यान में कम्पोस्ट पीट लगवाई गई।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड वार नियुक्त पर्यवेक्षकों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने वार्डों में प्रातः 6 बजे से भ्रमण कर वार्डों में साफ-सफाई व विशेष रूप से सड़कोए ना लयों की सफाई उद्यानों की साफ-सफाई व रख-रखाव करवानाए सार्वजनिक दिवारों पर स्वच्छता का संदेश देने वाली वॉल पेंटिंग करवानाए सर्वेक्षण के मानक अनुसार वार्डों में साइनेज का कार्य करवानाए वार्डों में उचित दूरी पर डस्टबीन रखवानाए कचरा संग्रहण वाहनों की मॉनीटरिंग करनाए कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिकों को प्रेरित करनाए पृथक्कीकरण अवस्था में कचरा ट्रे चंग ग्राउण्ड पर पहुंचानाए वार्डों में आईईसी गति व धयां संचालित कर नागरिकों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करनाए कचरा संग्रहण वाहनों की जीपीएस ट्रे कंग करवानाए थोक कचरा उत्सर्जन वाले संस्थानों में उनके ही स्थल पर जैविक खाद निर्माण करवानाए नागरिकों को होम कम्पोस्टिंग कये जाने हेतु प्रेरित कये जाने के साथ ही अपने-अपने वार्डों चन्हित बेस्ट पाईंट विशेष सफाई स्वच्छता संदेश की वॉल पेंटिंग सौन्दर्यीकरण आदि कार्य करवाये जाने के निर्देश दिये।

इसके अलावा नियुक्त पर्यवेक्षक प्रतिदिन के कार्यों की रिपोर्ट प्रतिदिन सांय 6 बजे प्रस्तुत करे व स्वच्छता के कार्य को सुगम बनाने व कार्य में गति प्रदान करने हेतु नियुक्त पर्यवेक्षक व्हाट्स एप ग्रुप प्रतिदिन की रिपोर्ट अपलोड करें।

आनन्द कालोनी में आज लगेगा निगम का बकाया वसूली श वर नागरिकों ने 43ए12ए144६ संपत्तिकर व 9ए13ए380६ जलकर जमा कराया रतलाम 03 मार्च । नागरिकों की सुवधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधित करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली श वर 18 जनवरी से आयोजित कये गये है जो 27 मार्च तक चलेंगे।

आयोजित ष वरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरण जलकरण दुकान गुमटी कराया लायसेंस शुल्क एवं वकास शाखा से संबंधित भवन की कष्ट तथा भू-भाटक की बकाया राष जमा करा सकेगें। निगम द्वारा आयोजित ष वरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर ष वर में संपत्तिकर 1ए10ए000६ व जलकर 6ए000६ए मालवा नगर लक्ष्मणपुरा ष वर में संपत्तिकर 1ए40ए000६ व जलकर 55ए775६ए अम्बे माता जवाहर नगर ष्विर् में संपत्तिकर 2ए38ए000६ व जलकर 49ए010६ए वनोबा नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए29ए000६ व जलकर 43ए670६ए अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल ष वर में संपत्तिकर 1ए22000६ व जलकर 29ए280६ए तिरूपति ष वर में संपत्तिकर 77ए000६ व जलकर 19ए850६ए कोमल नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए27ए000६ व जलकर 48ए220६ए मार्निंग स्टार स्कूल ष वर में संपत्तिकर 1ए12ए000६ व जलकर 14ए000६ए कस्तुरबा नगर ष वर में संपत्तिकर 5ए47ए000६ व जलकर 86ए540६ए प्रयदर्षनी नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए02ए000६ व जलकर 3ए76ए905६ए डोंगरे नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए82ए500६ व जलकर 76ए470६ए हाट रोड ष वर में संपत्तिकर 68ए000६ व जलकर 47ए595६ए कलीमी कालोनी ष वर में संपत्तिकर 1ए17ए000६ व जलकर 22ए680६ए राजेन्द्र नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए01ए644६ व जलकर 55ए320६ए काटजू नगर ष वर में संपत्तिकर 2ए76ए000६ व जलकर 59ए500६ए वेदव्यास कालोनी ष वर में संपत्तिकर 26ए62ए144६ व जलकर 6ए71ए025६ए कल्याण नगर ष वर में संपत्तिकर 71ए000६ व जलकर 19ए000६ए दीनदयाल नगर ष वर में संपत्तिकर 2ए47ए000६ व जलकर 64ए780६ए बोहरा बाखल ष वर में संपत्तिकर 4ए92ए000६ व जलकर 66ए715६ए रामगढ ष वर में संपत्तिकर 1ए60ए000६ व जलकर 34ए340६ए लक्कड़पीठा प्याऊ के पास ष वर में संपत्तिकर 2ए30ए000६ व जलकर 44ए230६ए धानमण्डी ष वर में संपत्तिकर 2ए07ए000६ व जलकर 33ए940६ए जूनि कोर्ट करण टों कज ष वर में संपत्तिकर 1ए84ए000६ व जलकर 56ए350६एआनन्द कालोनी ष वर में संपत्तिकर 44ए35ए144६ व जलकर 9ए52ए990६ की राष जमा कराई। इस तरह

नागरिकांें ने अब तक आयोजित ष वरों मेें 44ए35ए144६ संपत्तिकर व 9ए52ए990६ जलकर की रा ष जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित कये गये वसूली ष वरो के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 28ए 29ए 36ए 37 व 38 के लये 3 से 4 मार्च को लॉ कॉलेज आनंद कालोनीए वार्ड क्रमांक 28 के लये 5 मार्च को प्रताप नगर उद्यान के पासए वार्ड क्रमांक 13 के लये 6 मार्च को महावीर नगरए वार्ड क्रमांक 39ए 40 व 41 के लये 8 से 9 मार्च तक पैलेस रोड तिराहाए वार्ड क्रमांक 25ए 26 व 27 के लये 10 मार्च को चौगानिया भेरूए वार्ड क्रमांक 24ए 25 व 42 के लये 12 व 15 मार्च को षक्षा वभाग सायर चबुतराए वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लये 16 व 17 मार्च तक चौमुखीपुल प्याऊ के पासए वार्ड क्रमांक 41 के लये 18 से 19 मार्च तक बजाजखाना गणेष देवरीए वार्ड क्रमांक 33ए 34 व 35 के लये 20 व 22 मार्च को षास्त्री नगर सेंटरल बैंक के पासए वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लये 23 से 24 मार्च तक दो बत्ती चौराहाए वार्ड क्रमांक 30ए 31ए 32 व 34 के लये 25 से 26 मार्च तक स्टेषन रोड दिलबहार चौराहा व वार्ड क्रमांक 16 व 17 के लये 27 मार्च को टाटा नगर में कार्यालयीन समय में ष वर आयोजित कये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध कया गया है क निगम द्वारा उक्त ष वर बकायादारों की सु वधा के लए आयोजित कये गये है इन आयोजित ष वरों में बकायादार अपनी बकाया रा ष जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

गंदगी करने वालो पर स्पॉट फाईन हेतु दल का गठन

नागरिक भी गंदगी करने वालो की सूचना दल को दें

रतलाम 03 मार्च। नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले मेंए नाले-ना लयों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का वक्रयए उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना कये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने दल का गठन कर स्पॉट फाईन हेतु वाहन भी उपलब्ध कराया है।

गठित दल में वराट मेहराए उप स्वच्छता पर्यवेक्षक मो.नं. 9770326691 को दल प्रभारी नियुक्त किया है इसके अलावा मनोज टांक मो.नं. 7000848456ए पवन झांझोट मो.नं. 7000128812ए आकाष षन्देए मनोज झांझोटए राकेष ललावत दल प्रभारी के साथ रहकर नगर में नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले मेंए नाले-ना लयों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का वक्रयए उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना करेंगे व जो दुकानदार जुर्माने के बाद भी निरंतर गंदगी करते है उनकी दुकाने सील करने की कार्यवाही करेंगे।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है क षहर को गंदा करने वाले नागरिकोंए दुकानदारों आदि की जानकारी उक्त मोबाईल नम्बरों पर देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा

707 मवे शयों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रतलाम 03 मार्च । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानोंए सड़कोए चौराहों पर स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवे शयों को पकड़ा जायेगा क्यों क मवेशी पालको द्वारा दिन में मवे शयों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 13 अक्टूबर से अभियान चलाया गया तथा 03 मार्च तक शहर के व भन्न क्षेत्रों से 707 मवे शयों को पकड़ा जाकर जिले की व भन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 03 मार्च गुरुवार को दो बत्ती व चांदनी चौक से 2 मवेशी निगम के स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानों पर सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित है ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वयं अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हें तोड़ा जाकर राश वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोड़ेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पालक पर 500 रुपये का अर्थदण्ड कये जाने का प्रावधान है। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राश रुपये 500६ वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए0पी0 सिंह एं झोन प्रभारी श्री करण चौहान एं श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा की गई।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी व वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के वरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 03 मार्च | स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ संकल्पित है जिसके तहत वार्डों की सड़क एं गली एं सार्वजनिक स्थल एं नाले-नालयों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी व वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी एं कचरे के ढेर एं नाले-नालयों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी व वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी निश्ठा एवं

ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लिये नगरिक दे रहे हैं फीडबैक

रतलाम 03 मार्च । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरों एवं दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक संग्रहित किये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक-पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक-पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सटीजन फीडबैक लिया।

सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रतलाम 03 मार्च । रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाडए निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मशन के तहत सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने के लिये भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमकर्मियों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के व भन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मशन के तहत किये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लिये रतलाम

नगर के नागरिक सफाई संबंधी शिकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लिये अपने एन्ड्रॉयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करें। उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शिकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शिकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण किया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदारों को रखना होंगे 4 डस्टबीन खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी

अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 03 मार्च । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो क अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अप शष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे है व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात् कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्रीए फल-सब्जी के छिलकेए घांस व पेड़ की पत्तियांए राखए चाय पत्तीए बचा हुआ खाना आदि के लये हरा डस्टबीनए सूखा कचरा अर्थात् पुस्टाए अखबारए लोहाए कपड़ाए शालए कांचए पै कंग मटेरियलए टुटे खलौनेए प्लास्टिक आदि के लये नीला डस्टबीनए घरेलू हानिकार कचरे के लये पेन्ट के डब्बेए पेस्टीसाइड के डब्बेए सीएफएलए ट्यूबलाईटए थर्मामीटरए बैटरी आदि के लये काला डस्टबीन तथा मे डकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीनए डायपरए सुईए संरिजए मास्कए ग्लब्सए पीपीई कीट आदि के लये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना

सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के व भन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबं धत के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000.5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार.सं. व. हेमन्त, 03ण03ण2021ध्न.पा.निगमए रतलाम.